लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक-BRLPS/ LSBA/BSH/36/17/164 दिनांक- 18.07.2017

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
सभी जिला, बिहार ।

विषय: दिनांक 25.05.2017 को संपन्न बिहार विकास मिशन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 25.05.2017 को माननीय मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की समीक्षात्मक वैठक की कार्यवाही में दिए गए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से संबंधित क्रमांक संख्या- 08 के आलोक में अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

अनु०-यथो०

विश्वासभाजन

18/7/17

(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक,जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: संबंधित संचिका ।

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2017 को संपन्न बिहार विकास मिशन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निम्न तथ्यों को विचारित किया गया एवं तदनुरूप निदेश दिए गए :–

1.) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अभी तक बैंकों को स्वीकृति हेतु 3543 आवेदन प्रेषित किए गए, जिनमें उनके द्वारा 1863 आवेदनों की स्वीकृति दी गई, जबकि उनके द्वारा अभी तक मात्र 467 आवेदकों को ही ऋण वितरित किया गया है। इस क्रम में ज्ञात हुआ कि बैंकों द्वारा आवेदकों को कागजात के सत्यापन के लिए बार–बार बुलाया जाता है। इस योजना के तहत बैंक के क्रियाकलाप पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि जिस तिथि को बैंक द्वारा आवेदक को कागजातों के सत्यापन अथवा डॉक्युमेंटेशन के लिए बैंक में बुलाया जाता है, उस तिथि को आवेदकों के साथ सरकार का कोई पदाधिकारी/कर्मी भी साथ में जाएं। यह भी निदेश दिया गया कि बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु की जा रही कार्रवाई का राज्य स्तर पर सघन अनुश्रवण किया जाए एवं इस मामले में प्राप्त किसी भी शिकायत की त्वरित जाँच कर अनियमितता पाए जाने पर समुचित कार्रवाई की भी व्यवस्था हो।

2.) कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं उसकी स्वीकृति तथा प्रशिक्षण हेतु संचालित केन्द्रों की संख्या की स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्राप्त आवेदन के अनुपात में वर्तमान में संचालित केन्द्रों की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 30 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ केन्द्र संचालन हेतु आधारभूत संरचनाओं की कमी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि श्रम संसाधन विभाग से वैसे प्रखंडों की सूची, जहाँ केन्द्र के संचालन में कठिनाई है, प्राप्त कर इसका सत्यापन बिहार विकास मिशन के स्तर से कराया जाए। सत्यापनोपरांत इन प्रखंडों के लिए आवश्यकतानुरूप कुछ अतिरिक्त व्यवस्था किया जाएगा। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि वैसे आवेदक, जिनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, उन्हें प्रशिक्षण में सीखे गये पाठ्यक्रम के अभ्यास हेतु लैपटॉप/टैबलेट आदि दिया जाना श्रेयस्कर होगा। कुशल युवा प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को लैपटॉप/ टैबलेट की अन्य तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्रम संसाधन विभाग को विचारार्थ प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

3.) वेंचर कपिटल फंड के गठन तथा इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की समीक्षा में पाया गया कि विगत कुछ माह से इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। अब तक 108 पोटेंशियल स्टार्ट अप को इनक्यूबेटर के साथ संबद्ध करने का निर्णय लिये जाने के बावजूद प्रगति यथावत है तथा एक भी स्टार्ट अप को अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है। अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक कर इसमें शीघ्र प्रगति लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

4.) सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 291 संस्थानों में इसे अधिष्ठापित किया गया तथा

इनमें लगभग 140 संस्थानों में यह सुविधा वर्तमान में संचालित है। जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा 20 जून तक सभी अधिष्ठापित संस्थानों में इसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसकी प्रगति की सतत् समीक्षा एवं अनुश्रवण का निदेश दिया गया।

5.) "हर घर बिजली" के निश्चय के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा SECC के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक घर का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसे गत वर्ष ही पूर्ण कर लिया गया था। इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी SECC के आंकड़ों के अनुपात में ऊर्जा विभाग द्वारा सर्वेक्षित घरों की संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि क्षेत्र भ्रमण में यह पाया गया है कि अभी भी कई टोलों का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, जबकि विभाग द्वारा आंकड़ों में कमी के संबंध में अन्यान्य कारण बताए जा रहे हैं। निदेश दिया गया कि ऊर्जा विभाग के साथ निश्चय के क्रियान्वयन के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की जाए।

6.) "हर घर नल का जल" निश्चय के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गैर–गुणवत्ता प्राप्त वार्डो में कराये जा रहे कार्य के साथ–साथ आर्सेनिक फ्लोराईड एवं लौह प्राप्त वार्डो में कराये जा रहे कार्यो की सतत् समीक्षा करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि हर घर नल का जल तथा गली–नाली बनाने में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की भी विस्तृत समीक्षा कर ली जाए और यदि वैधानिक रूप से किसी प्रावधान में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उस पर भी विचार कर लिया जाए।

7.) "ग्रामीण टोला संपर्क" निश्चय योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संपर्क विहीन टोलों को संपर्कता उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के संदर्भ में लक्ष्य के विरूद्ध विभाग द्वारा दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा और उसका निष्पादन, कार्यादेश निर्गत करने, निर्माण प्रारंभ होने एवं निर्माण पूर्ण किये जाने के बिन्दुओं पर गहन अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

8.) "शौचालय निर्माण घर का सम्मान" निश्चय की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में 1999 पंचायतों में इस हेतु कार्य प्रारंभ किया गया, परंतु वर्त्तमान में आच्छादित घरों की संख्या उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। यह भी जानकारी दी गयी कि कई जिलों में इस हेतु पर्याप्त संख्या में समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता (CLTS) दल उपलब्ध नहीं है, जिस कारण इस योजना को मूल स्वरूप में कार्यान्वित करने में कठिनाई हो रही है। निदेश दिया गया कि इस योजना के तहत किसी भी वार्ड, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिलों को ODF घोषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि वहाँ सभी घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन घरों में शौचालय का वास्तविक रूप से उपयोग भी हो रहा है अर्थात् लोगों का व्यवहार परिवर्तन हो चुका है।

सात निश्चय की योजनाओं को प्राथमिकता देकर इसमें गति लाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया कि निश्चय से संबंधित योजनाओं के प्रगति के आधार पर जिला पदाधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन का निर्धारण किया जाय।

इसके अतिरिक्त सुशासन के कार्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की भी समीक्षा की गई :–

9.) शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था लागू करने के संबंध में निम्न निदेश दिये गये –

I. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में सीवरेज–युक्त पानी को treat करने के उपरांत उसे किसी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाय। इस तरह के जल का उपयोग सिंचाई अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में किया जा सकता है। इस संबंध में गंगा की अविरलता विषय पर जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलनों में चर्चा के उपरांत पटना घोषणा पत्र एवं दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसके बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु कार्रवाई की जाए।

II. ठोस कचरा प्रबंधन हेतु कई स्थानों पर विकेन्द्रीकृत रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसके उदाहरण के रूप में नालंदा जिले के सिलाव में की गयी व्यवस्था का अवलोकन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किया जाए और उस आधार पर इसे अन्य स्थानों में भी लागू करने पर विचार किया जाए।

10.) प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इस योजना की प्रगति अत्यंत धीमी है। यह भी जानकारी दी गई कि SECC के आंकड़ों पर आधारित होने के कारण इसके तहत सभी योग्य लाभार्थी आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं। निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर ली जाय और यदि इस प्रकार का कोई मामला हो तो उसके सुधार हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए।

11.) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (जीविका) के तहत वर्ष 2017 तक दस लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किये जाने का लक्ष्य विभाग द्वारा रखा गया था, परंतु समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि अबतक 6 लाख 2 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा सका है। जीविका के तहत समूहों के गठन की प्रक्रिया धीमी हुई है और इसमें विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग के साथ अलग से समीक्षा बैठक आयोजित किया जाए।

12.) पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने के संदर्भ में प्रधान सचिव, वित्त द्वारा जानकारी दी गयी कि सरकार के पास वर्तमान में अतिरिक्त राशि उपलब्ध है, जिससे लगभग 1400 अतिरिक्त पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा सकता है। निदेश दिया गया कि अतिरिक्त पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु राशि की उपलब्धता पंचायती राज विभाग तुरंत आवश्यक पहल करें एवं विकास आयुक्त द्वारा इसका समन्वय किया जाए।

13.) विभिन्न मामलों में भवन निर्माण की योजनाओं के स्थल के चयन के बिन्दु पर मतैक्य नहीं होने तथा इस कारण कार्य में विलम्ब होने के मामलों की समीक्षा कर निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में विकास बिहार मिशन कार्यालय के पदाधिकारियों से स्थल जाँच कराकर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

14.) समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि विभागों द्वारा विभिन्न भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने के पश्चात् भी भवन निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रकाशित करने तथा कार्य प्रारंभ करने में अप्रत्याशित रूप से विलंब किया जा रहा है, जिससे कार्य प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निदेश दिया गया कि विभिन्न विभागों से सूची प्राप्त कर विकास आयुक्त के स्तर से इसकी समीक्षा कर इसका शीघ्र समाधान किया जाए।

15.) भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में यह जानकारी मिली कि निविदा के सफल नहीं होने के कारण भी कई भवनों का निर्माण कार्य बाधित है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण में यदि निविदा असफल होने के कारण विलम्ब हो रहा हो, तो इसे अन्य माध्यम से कराने के विकल्पों पर विचार किया जाए तथा इस आशय के प्रस्ताव पर विभाग से विमर्श कर विकास आयुक्त द्वारा शीघ्र निर्णय हेतु लाया जाए।

16.) सरकारी भूमि के अतिक्रमण एवं दुरूपयोग के मामलों की समीक्षा के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी भवनों के निर्माण के साथ चहारदीवारी का निर्माण भी कराया जाना आवश्यक है।

17.) मानव विकास मिशन के तहत Infant Mortality Rate की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लड़कों के तुलना में लड़कियों का IMR अधिक है। यह स्थिति आज भी लड़कियों के प्रति सामाजिक अनाशक्ति की स्थिति को दर्शाता है। इसे सामाजिक अभियान, व्यापक प्रचार–प्रसार और शिक्षा के विस्तारीकरण से ही दूर किया जा सकता है। अतः इस संबंध में समन्वित प्रयास किये जाने हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाने का निदेश दिया गया।

18.) बच्चों में Stunted growth को नियंत्रित करने के बिन्दु पर भी विचार–विमर्श किया गया। निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम इस समस्या के समाधान हेतु विभाग एक कार्ययोजना बनाए और उसके आधार पर अनुश्रवण हेतु सूचकांकों को विकसित कर उसका सघन अनुश्रवण भी किया जाए।

19.) वैशाली में बौद्ध स्तूप के निर्माण हेतु की जा रही कार्रवाई की समीक्षा में पाया गया कि इस मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। यह भी पाया गया कि अबतक इसके लिए Archeological Survey Of India से अनापत्ति भी प्राप्त नहीं की गयी है। निदेश दिया गया कि विभाग इसके लिए अविलंब प्रस्ताव ASI को उपलब्ध कराये तथा मुख्य सचिव के स्तर से इस इसका सघन अनुश्रवण किया जाए। इसी प्रकार मिथिला चित्रकला संस्थान के भवन निर्माण कार्य में भी गति लाने की आवश्यकता है। मिथिला चित्रकला में डिग्री कोर्स के संचालन हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन बिन्दुओं की समीक्षा कर इसे भी शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 21/6
सदस्य सचिव,
बिहार विकास मिशन

(अंजनी कुमार सिंह) 21/6/17
मुख्य सचिव, बिहार –सह–
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
बिहार विकास मिशन

ज्ञापांक :– बि०वि०मि०–स्था० (समीक्षात्मक बैठक)–08/2017 631 / पटना, दिनांक– 21.06.17

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ पुलिस महानिदेशक/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव, बिहार/ मिशन निदेशक/ सभी उप मिशन निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव 21/6/17
बिहार विकास मिशन